FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0067 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 12/03/2026 17:59 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 06/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 11/03/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:51 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/03/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 12/03/2026 17:59:24 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 35 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** PARIWADI KA HOTAL BHAWANA GAST HOUSE KE DHARATAL PAR BANE, PURV MUKHI KAMARA TAHALA ROAD GOLAKABAS, THANA TAHALA JILA ALWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NARSIRAM MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RADHESHYAM MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOLA KA BAS, TEHLA, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOLA KA BAS, TEHLA, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMPRAKESH		पिता:HANUMAN SAHAY	1. KABLIGARH POST SURAT,THANAGAJI,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA
2	RAMNARAYAN		पिता:BHANWAR SINGH	1. GRAM/POST BEDHAM, DEEG,DEEG,डीग,RAJASTHAN, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.03.2026 समय 01.30 पीएम पर परिवादी श्री नरसी राम मीणा पुत्र श्री राधेश्याम मीणा उम्र 30 साल जाति मीणा निवासी गोला का बास तहसील राजगढ थाना टहला जिला अलवर ने कार्यालय में उपस्थित होकर समय 2.00 पीएम पर पुलिस उप अधीक्षक एसीबी चौकी दौसा को एक प्रार्थना पत्र मय स्वंय का आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति व पुलिस थाना टहला जिला अलवर के मुकदमा नं0 40/2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति के इस आषय का पेश किया कि मै नरसी राम मीणा पुत्र श्री राधेश्याम मीणा निवासी गोला का बास, तहसील राजगढ जिला अलवर का रहने वाला हूॅ। मै गॉव में मेहनत मजदूरी करके अपनी जिविका चलाता हूॅ। मेरे माता-पिता व छोटे भाई शंकर लाल के खिलाफ शंकर लाल के साले श्री विनोद मीणा ने पुलिस थाना टहला पर मुकदमा नं0 40/2026 दिनांक 23.02.2026 दर्ज करवाया था। जिसकी जांच श्री रामनारायण हैड कानि0 पुलिस थाना टहला कर रहे है । उक्त मुकदमें में हमारा आपस में राजीनामा हो गया तो मै राजीनामें का प्रार्थना पत्र लेकर श्री रामनारायण हैड कानि. पुलिस थाना टहला के पास गया और हमारा राजीनामा उनको पेश किया तो उन्होने राजीनामा नही लिया और कहा कि जब तक तुम मुझे 20,000 रूपये नही दोगें तब तक मै तुम्हारा राजीनामा फाईल पर नही लूंगा और आज के बाद मेरे पास थाने पर मत आना और 20,000/- रूपये गोला का बास पुलिस चौकी पर तैनात श्री रामप्रकाश कानि. को दे देना और तभी तुम्हारा काम होगा। इसके बाद श्री रामनारायण जी ने श्री रामप्रकाश को फोन कर दिया था। मै दिनांक 05.03.2026 को गोला का बास पुलिस चौकी पर जाकर श्री रामप्रकाश जी से मिला और अपने प्रकरण के बारे में बताया तो उन्होने कहा कि उनके पास थाने से रामनारायण जी का फोन आ गया था। श्री रामप्रकाश जी ने भी मुझसे 20,000/- रूपये की मांग की और कहा कि 20,000/- रूपये मुझे दे देना तब मै तुम्हारा राजीनामा रामनारायण जी से फाईल पर लगवा दूंगा। उसके बाद मै घर आ गया। मै हमारे राजीनामा होने के बाद जायज काम के लिये श्री रामनायण व श्री रामप्रकाश को रिश्वत नही देना चाहता हॅू बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हॅू। अतः मेरे से रिश्वत मांगने वाले टहला थाने के श्री रामनारायण हैड कानिस्टेबल व गोला का बास पुलिस चौकी के श्री रामप्रकाश कानिस्टेबल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। उक्त रिपोर्ट के बारे में परिवादी श्री नरसी राम मीणा से पूछने पर बताया कि यह मेरे जानकार से टाईप करवाकर लाया हॅू। टहला थाने के श्री रामनारायण हैड कानि. व गोला का बास पुलिस चौकी के श्री रामप्रकाश कानिस्टेबल से मेरी कोई रंजिश नही है और ना ही कोई उधार लेन देन बाकी है उपरोक्त टाईपषुदा प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत मांग का पाये जाने पर रिश्वत मांग का नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यवाही शुरू की गई का अंकन कर प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज शामिल रनिंग नोट किया गया। इसके बाद समय 02ः30 पीएम पर परिवादी श्री नरसी राम मीणा को कार्यालय का डीवीआर दिखाकर उसको संचालन की विधि समझाई गई। कार्यालय में उपस्थित श्री लोकेश कुमार कानि. 155 को बुलाकर परिवादी श्री नरसी राम मीणा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में बताकर परिवादी श्री नरसी लाल मीणा से परिचय करवाया गया। तथा डीवीआर में नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी लगाकर उसको खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री नरसी राम मीणा को आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की समझाईस की जाकर डीवीआर जरिये फर्द श्री लोकेश कुमार कानि. 155 को सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री नरसी राम मीणा ने बताया कि उनके इस प्रकरण में उससे रिश्वत मांग के संबंध में पुलिस चौकी गोला का बास का श्री रामप्रकाष कानि. ही बातचीत करेगा। रिश्वत के बारे में बातचीत करने हेतु श्री रामप्रकाश कानिस्टेबल गोला का बास में हमारी होटल पर ही आ जायेगा और होटल पर मेरा छोटा भाई शंकर लाल काम करता है तो श्री रामप्रकाश जी कानिस्टेबल से मै व मेरा छोटा भाई शंकर लाल रिश्वत के बारे में वार्ता कर लेगें। संदिग्ध अधिकारी श्री रामप्रकाश कानि. पुलिस चौकी गोला का बास से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री नरसी राम मीणा व श्री लोकेश कुमार कानि. 155 को मुनासिब हिदायत कर गोला का बास के लिये रवाना किया गया। इसके बाद समय 06ः30 पीएम पर कार्यालय से समय 02ः30 पीएम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवानाशुदा कानि. श्री लोकेश कुमार नं. 155 व परिवादी श्री नरसी राम मीणा कार्यालय में मेरे समक्ष उपस्थित आये और श्री लोकेश कुमार कानि. 155 ने डिवीआर मय मैमोरी कार्ड के मुझे सुपुर्द किया। मेरे द्वारा पूछने पर परिवादी श्री नरसी राम ने बताया कि कार्यालय से रवाना होकर मै व श्री लोकेश जी गोला का बास में

हमारी चाय पानी की होटल पर पहॅुचे जहाॅ पर मेरा छोटा भाई शंकर लाल भी हमे होटल पर ही मिला। इस दौरान मैने श्री रामप्रकाश जी को उनके मोबाइल नम्बर   पर अपने मोबाइल नं.   से कॉल किया तो उनका फोन व्यस्त चल रहा था। फिर कुछ समय बाद श्री रामप्रकाश जी का मेरे पास फोन आया तो मैने उनसे हमारे मुकदमे में मदद करने के लिये बातचीत के लिये कहा तो उन्होने कहा कि मै कुछ देर मेंं तुम्हारी होटल पर ही आ रहा हॅू। इसके बाद लोकेश जी ने मुझे मैमोरी कार्ड लगा हुआ डीवीआर चालू करके दे दिया और लोकेश जी स्वंय होटल में साईड में बैठ गये। इसके बाद श्री रामप्रकाश जी कानिस्टेबल हमारे होटल पर आ गये थे जिनसे मैने व मेरे छोटे भाई शंकर लाल ने हमारे प्रकरण में मदद करने के बारें में बातचीत की तो उन्होने हमसे 20,000/- रूपये रिश्वत के मांगे और फिर हमारे निवेदन पर 15,000/- रूपये लेने पर सहमत हुये और मुझसे 5,000/- रूपये उसी वक्त ले लिये एवं शेष 10,000/- रूपये आईन्दा लेने के लिये सहमत हुये। मैने व मेरे छोटे भाई शंकर लाल ने श्री रामप्रकाश जी कानिस्टेबल से जो वार्ता की थी वो मैने डीवीआर में रिकॉर्ड कर ली थी और श्री रामप्रकाश कानिस्टेबल के हमारी होटल से जाने के बाद मैने डीवीआर लोकेश जी को दे दी जिन्होने डीवीआर को बन्द करके अपने पास रख लिया। और फिर हम वहाॅ से रवाना होकर आपके पास कार्यालय में उपस्थित आये है। श्री लोकेश कुमार कानि. ने पूछने पर परिवादी श्री नरसी राम मीणा के कथनों की ताईद की। मैने डीवीआर को चलाकर सुना तो संदिग्ध श्री रामप्रकाश कानिस्टेबल द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद मैने डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के सुरक्षित आलमारी में रखा। तत्पष्चात् समय 07ः00 पीएम परिवादी श्री नरसी राम को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही बाबत कहा तो उसने अपने घर पर जरूरी कार्य होना बताकर अग्रिम कार्यवाही हेतु आईन्दा उपस्थित आने बाबत कहा। जिस पर परिवादी श्री नरसी राम को हिदायत मुनासिब कर कार्यालय से रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 11.03.2026 समय 09ः00 एएम पर पूर्व हिदातानुसार परिवादी श्री नरसी राम मीणा कार्यालय में मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया और बताया कि वह आज अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु रिश्वत में दिये जाने वाली 10 हजार रूपये लेकर आया हूॅ। परिवादी श्री नरसीराम मीणा को कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात समय 9.30 एएम पर हस्वतलविदा स्वतंत्र गवाहान डॉ0 शिवकुमार पुत्र श्री ग्यारसी लाल उम्र 41 साल जाति महावर निवासी एसबी-31 गुरूद्वारे के पास बडोदिया स्कीम, स्टेशन रोड, बनीपार्क, पुलिस थाना सदर रेल्वे स्टेषन के पास जयपुर हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सक कार्यालय, पशु चिकित्सालय चादंराना, जिला दौसा व श्री नवीन जोनवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र जोनवाल उम्र 33 साल जाति बैरवा निवासी पायलेट नगर प्रकाश हॉस्पिटल के पीछे, आगरा रोड दौसा पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा हाल पशुधन निरीधक, कार्यालय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पंचकुईया, दौसा मन् उप अधीक्षक के समक्ष कार्यालय में उपस्थित आये। हर दोनो गवाहान को परिवादी श्री नरसीराम मीणा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया गया एवं उस पर की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारें में बताया जाकर उन्हें उक्त की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने सहमति प्रदान कर परिवादी द्वारा पेष टाईपशुदा प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री नरसी राम मीणा पुत्र श्री राधेश्याम मीणा उम्र 30 साल जाति मीणा निवासी गोला का बास तहसील राजगढ थाना टहला जिला अलवर का स्वतंत्र गवाहान डॉ0 शिवकुमार हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सक कार्यालय, पशु चिकित्सालय चादंराना, जिला दौसा व श्री नवीन जोनवाल हाल पशुधन निरीधक, कार्यालय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पंचकुईया, दौसा का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पष्चात् समय 10.00 ए.एम. परिवादी श्री नरसी राम मीणा व दोनो स्वतंत्र गवाहान डॉ0 शिवकुमार व श्री नवीन जोनवाल के सामने मन् पुलिस उपाधीक्षक ने रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी व उसके भाई श्री शंकर लाल एवं संदिग्ध आरोपी रामप्रकाश कानि. पुलिस चौकी गोला का बास, पुलिस थाना टहला, जिला अलवर के मध्य दिनांक 06.03.2026 को वर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता, जिसको परिवादी द्वारा सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे सैनडिस्क 32 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था जिसे बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के वापसी पर श्री लोकेश् कुमार कानि. 155 ने मुझे सुपुर्द किया था जिसको मैने आलमारी में सुरक्षित रखा था। उक्त डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी से निकालकर कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से चालूकर सुना गया एंव उसमें रिकॉर्ड वार्ता की मेरे निर्देश्न में शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री लोकेश् कानि. 155 द्वारा तैयार की गई। उक्त वार्ता की परिवादी श्री नरसी राम मीणा द्वारा अपनी आवाज व उसके भाई श्री शंकर लाल एवं संदिग्ध आरोपी श्री रामप्रकाश् कानि0, पुलिस चौकी गोला का बास, पुलिस थाना टहला जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की कॉपी के पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली एचपी 16 जीबी पेनड्राईव मंगवाये जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे सैनडिस्क 32 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से तीनो एचपी 16 जीबी पेनड्राईव में सेंड टू ऑप्शन से कॉपी तैयार की जाकर तीनों पेनड्राईव को बारी-बारी से पुनः कार्यालय कम्प्यूटर में जोडकर चलाकर सुना गया तो मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता की कॉपी हुब हू होना पायी गयी। इसके बाद तीनो पैन ड्राईव को पृथक-पृथक उनके कवर में रखकर कवर के पीछे चिट चस्पा कर मार्क- A-1, A-2,A-3 अंकित कर दोनों स्वतंत्र गवाहान डॉ शिव कुमार व श्री नवीन जोनवाल एंव परिवादी श्री नरसी राम मीणा के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क A-1, A-2, को उनके कवर

सहित दोनों पेनड्राईव को अलग-अलग एक सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1, A-2, अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा तीसरे पेनड्राईव मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। तत्पश्चात उक्त वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी को सुरक्षित हालात मे यथावत वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसके कवर में रखकर कवर के पीछे एक चिट चस्पाकर उस पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उसको एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालत मे रखकर थैली को सील मोहर कर उस पर मार्क M-1 अंकित कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिवीआर में लगे एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा वार्तालाप की जो पैनड्राईव बनाई गई है उनमें किसी प्रकार की छेडछाड व कांट छांट नही की गई है। जिसका विस्तृत वर्णन फर्द में अंकित किया गया। मैमोरी कार्ड एवं पैन ड्राईवों की हैश वैल्यू निकालकर उसका कम्प्युटर से प्रिंट निकालकर शामिल फर्द किया गया । सीलशुदा मैमोरी कार्ड व सभी पैन ड्राईव जमा मालखाना करवाये गये। इसके बाद समय 11.30 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस के द्वारा परिवादी श्री नरसी राम मीणा से आरोपी को दी जाने वाली 10,000 रूपये की रिष्वत राषि पेष करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से आरोपी श्री रामप्रकाश कानि को दी जाने वाली रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/-रू निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा फर्द पेशकशी में अंकित करवाकर उपरोक्त पेशशुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर उक्त फर्द से मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। परिवादी द्वारा पेश शुदा नोटों पर श्री रामखिलाडी कानि 52 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 10,000 रूपये के नोटों को पृथक-पृथक रखकर उन पर श्री रामखिलाडी कानि 52 से अच्छी तरह से बारी-बारी से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री नरसी राम मीणा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नवीन जोनवाल से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं मिला। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त आरोपी श्री रामप्रकाश कानि को दी जाने वाली रिश्वत राशि 10,000/-रू. के नोट श्री रामखिलाडी कानि 52 से परिवादी के पहने हुई पेंट की सामने की दायी तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को तब तक नही छुयेगा जब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हे देवे। और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत देने का निर्धारित ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक नये साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री रामखिलाडी कानि 52 के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को फिनोप्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक क्रिया के बारें में बताया गया। इसके बाद उक्त डिस्पोजल गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया एंव डिस्पोजल गिलास को नष्ट करवाया गया। तत्पष्चात पाउडर लगाने वाले श्री रामखिलाडी कानि 52 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं परिवादी, गवाहान एंव टै्प पार्टी के सदस्यां के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा टै्प बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, चम्मच डिस्पोजेबल गिलास आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं मिली, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डीवीआर मय नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी लगाकर आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। उक्त कार्यवाही की फर्द नियमानुसार तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 1-00 पीएम मन् उप अधीक्षक पुलिस रविन्द्र सिंह मय स्वतन्त्र गवाह डॉ शिवकुमार व श्री नवीन जोनवाल एवं परिवादी श्री नरसी राम मीना स्टाफ सदस्य श्री दौलतराम हैड कानि न 101, श्री बनवारी लाल हैड कानि 116, श्री मुकेश कुमार कानि न 101, श्री राकेश कुमार कानि 70, श्री प्रेम प्रकाश कानि382, श्री लोकेश कुमार कानि 155, श्री नितिन कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अनुसंधान बॉक्स के एसीबी कार्यालय दौसा से पुलिस चौकी गोला का बास थाना टहला जिला अलवर के लिए रवाना हुआ। रिश्वति राशि के फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री रामखिलाडी कानि 52 को कार्यालय में ही छोडा गया। तत्पश्चात समय 02-00 पीएम मन् उप अधीक्षक पुलिस रविन्द्र सिंह मय स्वतन्त्र गवाह डॉ शिवकुमार व श्री नवीन जोनवाल एवं परिवादी श्री नरसी राम मीना व ब्यूरो स्टाफ सदस्य मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अनुसंधान बॉक्स के एसीबी कार्यालय दौसा का रवानाशुदा परिवादी की होटल भावना गेस्ट हाउस गोला का बास, टहला रोड पहुचें। जहाँ परिवादी ने बताया मेरा आरोपी

श्री रामप्रकाश कानि से सम्पर्क हुआ है। जिस पर उसने कुछ देर में होटल पर ही आने की सहमति दी है। इस पर मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के अपनी उपस्थिति छुपाते हुये होटल पर ही मुकीम हुआ। तत्पष्चात् समय करीब 03-51 पीएम. पर परिवादी श्री नरसी राम मीणा ने अपने होटल भावना गेस्ट हाउस के धरातल पर बने पूर्व मुखी कमरे के दरवाजे पर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को लेकर परिवादी के पास उक्त कमरे पर पहुंचकर परिवादी से डिवीआर प्राप्त कर बन्द किया जाकर अपने पास रखा। तत्पश्चात परिवादी ने कमरे में पुलिस कानिस्टेबल की वर्दी में बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये आरोपी रामप्रकाश कानिस्टेबल है जो चौकी गोला का बास पर पदस्थापित है जिन्होने मेरे से अभी अभी हमारे मुकदमें मदद करवाने के नाम पर मुझसे 10,000/- रूपये प्राप्त किये है उक्त 10,000/- रूपये रामप्रकाश जी ने लेकर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेंट की बांई जेब में रख लिये है। ये 10,000/- रूपये वो ही है जिन पर आपने नियमानुसार फिनोफ्थलीन पाउडर लगाकर आपने मुझे सुपुर्द किया था। और बताया कि आरोपी श्री रामप्रकाश ज्यौ ही हमारे होटल के गेट पर मुझे दिखाई दिया तो मैने श्री लोकेश कुमार कानि से डीवीआर चालू करवाकर मेरे पास रख लिया। श्री रामप्रकाश कानि मेरे पास आया और फिर हम दोनों इस कमरे में बैठ गये। इसके बाद श्री रामप्रकाश जी ने मेरे से हमारे खिलाफ दर्ज मुकदमे में मदद करने आदि के बारे में बातचीत की थी। मैने उक्त सारी बातचीत डीवीआर में रिकॉर्ड कर ली। रिश्वत राशि 10,000/- रूपये जो अभी भी श्री रामप्रकाश की जेब में रखी हुई है । तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुये परिवादी द्वारा बताये गये उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पुछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम रामप्रकाश पुत्र श्री हनुमान सहाय जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी ग्राम काबलीगढ पोस्ट सुरतगढ तहसील व थाना थानागाजी जिला अलवर हाल कानि 1008 पुलिस चौकी गोला का बास थाना टहला जिला अलवर होना बताया। उक्त आरोपी से परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो आरोपी श्री रामप्रकाश कानि ने बताया कि मैने ये 10,000/- रूपये की रिश्वत राशि श्री रामनारायण हैड कानि 1412 थाना टहला जिला अलवर के कहने पर ली है। मेरा इस रिश्वत राशि से कोई लेना देना नही है। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री रामप्रकाश कानि से कहा कि यदि ये रिश्वत राशि श्री रामनारायण हैड कानि के लिये ली है तो आप अपने मोबाइल से लाउड स्पीकर ऑन करके श्री रामनारायण हैड कानि से वार्ता करो। जिस पर आरोपी श्री रामप्रकाश ने अपने मोबाइल नं   से श्री रामनारायण हैड के मो नं   पर कॉल करवाई गई तो कॉल रिसीव नही की गई। उक्त कॉल से संबंधित कार्यवाही को डिवीआर में रिकॉर्ड किया गया। कुछ समय बाद श्री रामनारायण हैड कानि ने आरोपी श्री रामप्रकाश कानि के मोबाइल पर वापस कॉल आया जिसको रिसीव करने से पहले डिवीआर को चालू किया गया। तत्पश्चात लाउड स्पीकर ऑन किया जाकर आरोपी श्री रामप्रकाश कानि व श्री रामनारायण हैड कानि के मध्य हुई वार्ता को डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया, उक्त डीवीआर में रिकॉडशुदा वार्ता से श्री रामनारायण हैड कानि जिसके पास परिवादी के परिजनों के खिलाफ थाना टहला पर दर्ज मुकदमा नं 40/2026 की अनुसंधान पत्रावली है तथा डीवीआर में रिकॉर्ड रिश्वत लेन देन वार्ता को सुनने पर श्री रामप्रकाश कानि ने रिश्वत राशि आरोपी श्री रामनारायण हैड कानि के कहने पर अपने स्वंय के लिये व श्री रामनारायण हैड कानि के लिये प्राप्त करना स्पष्ट रूप से पाया गया। इसलिये श्री रामनारायण हैड कानि को तलाश कर डिटेन कर लाने हेतु समय 04ः05 पीएम पर श्री बनवारी लाल हैड कानि मय हमराही जाब्ता श्री राकेश कुमार कानि 70, श्री मुकेश कुमार कानि 101, श्री नितिन कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन से थाना टहला के लिये रवाना किया गया। आरोपी श्री रामप्रकाश कानि से दिनांक 06.03.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी श्री नरसी राम मीणा से प्राप्त किये गये 5,000/- रूपये के बारे में पूछताछ की तो श्री रामप्रकाश कानि ने बताया कि मै दिनांक 06.03.2026 को श्री नरसी मीणा के पास उनके होटल पर आया था जहाँ पर श्री नरसी मीणा से मेरी उसके परिजनों के खिलाफ दर्ज मुकदमा नं 40/2026 पुलिस थाना टहला जिला अलवर के बारे में बातचीत हुई थी। उक्त मुकदमें के अनुसंधान अधिकारी श्री रामनारायण हैडकानि ने मुझे पूर्व में बताया था कि उक्त मुकदमें में नरसी राम मीणा पक्ष की मदद करने के लिये नरसी मीणा से खर्चे पानी के 20,000/- रूपये ले लेना और श्री रामनारायण हैड कानि के कहने पर ही मैने श्री नरसी राम मीणा से उसके मुकदमें में मदद करने के लिये 20,000/- रूपये मांगे थे जिस पर हमारी 15,000/- रूपये में बातचीत तय हुई थी। श्री नरसी राम मीणा ने 5,000/- रूपये मुझे उसी वक्त दे दिये थे और शेष 10,000/- रूपये आईन्दा देने के लिये सहमत हुआ था। मैने नरसी राम मीणा से 5,000/- रूपये लिये थे वो मैने श्री रामनारायण हैड कानि को दे दिये थे। चूंकि उक्त गेस्ट हाउस के आस पास बहुत ज्यादा भीड होने के कारण उक्त आरोपी श्री रामप्रकाश कानि को अग्रिम कार्यवाही हेतु बॉया हाथ श्री दौलत राम हैड कानि व दाया हाथ श्री प्रेम प्रकाश कानि 382 से पकडवाकर उसी स्थिति में प्राईवेट गाडी में बैठकर मय हमराहीयान दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री नरसी राम व श्री लोकेश कुमार कानि के नजदीकी पुलिस थाना सैंथल जिला दौसा के लिये समय 04ः10 पीएम पर रवाना होकर समय करीब 04ः50 पीएम पर पुलिस थाना सैंथल पहुचा। मौजूदा ड्यूटी ऑफिसर को कार्यवाही बाबत बताया तो उन्होने थाने के कम्प्यूटर कक्ष में कार्यवाही करने का बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के व अनुसंधान बॉक्स, ट्रेप बॉक्स व लैपटॉप आदि के थाने के कम्प्यूटर कक्ष में पहुँचा। जहॉं पर आरोपी श्री रामप्रकाश कानि से परिवादी श्री नरसी राम मीणा से प्राप्त

की गई 10,000/- रूपये की रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो अपने पहनी हुई पेंट की बांई जेब में होना बताया। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री नवीन जोनवाल से आरोपी श्री रामप्रकाश कानि की पेंट की आगे की बांई जेब की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी की पेंट की बांई जेब में 10,000/- रूपये रिश्वत राशि मिली। उपरोक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि 10,000/- रूपये जिनके नम्बरो का कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो उक्त नोट के नम्बर फर्दानुसार ही पाये गये। उक्त रिश्वत राशि गवाह श्री नवीन जोनवाल के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात् श्री दौलत राम हैड कानि 101 से थाने पर रखे पानी के कैम्पर से एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री रामप्रकाश कानि के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी तथा बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगुठे के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी हो गया, जिसे ंमौजूदगान ने देखकर मामूली हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क RH-1, RH-2 व LH-1 LH-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके बाद आरोपी रामप्रकाश कानि से उसके द्वारा पहनी हुई पुलिस वर्दी को शालीनता से लोवर व टी-शर्ट से बदलवाया गया। तत्पश्चात एक साफ प्लास्टिक डिस्पोजेबल गिलास निकलवाकर उक्त गिलास में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया जिसमें श्री रामप्रकाश की पहनी हुई वर्दी की खाकी पेंट की आगे की बांयी जेब को उल्टाकर उक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो जेब के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे मौजूदगान देखकर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1 P-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई एवं आरोपी की पेंट की उक्त जेब को सुखवाकर जेब पर लाल पैन से गोला कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली में सील मोहर कर उस पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। धौवन की उपरोक्त कार्यवाही की सरकारी मोबाइल में नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क अल्ट्रा 16 जीबी लगाकर श्री लोकेश कुमार कानि से विडियोग्राफी करवाई गई। जिसकी पृथक से नियमानुसार फर्द मुर्तिब की जावेगी। स्वंतत्र गवाह श्री नवीन जोनवाल के पास सुरक्षित रखवाई रिश्वती राशि को पेश करने की कहने पर उक्त गवाह श्री नवीन जोनवाल उक्त बरामदशुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10000/- रूपये के नोट अपने पास से निकालकर दियेउक्त बरामदशुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10000/- रूपये की रिश्वत राशि को नियमानुसार सील चिट चस्पाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद पुलिस थाना टहला जिला अलवर से ट्रेप कार्यवाही से संबंधित मुकदमा नम्बर 40/26 के अनुसंधान की पत्रावली श्री चन्द किशोर हैड कानि 131 ने प्रमाणित सुदा फोटो प्रति पेज संख्या 1 लगायत 36 के मय फोर्वडिंग लैटर के कानि श्री प्रेमराज 2271 पुलिस थाना टहला जिला अलवर ने लाकर मन् उप अधीक्षक को पेश की। मुकदमा नम्बर 40/26 की पत्रवाली को बाद अवलोकन पत्रावली के प्रथम व अन्तिम पेज पर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के व मेरे हस्ताक्षर कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 07ः30 पी.एम. श्री बनवारी लाल हैड कानि मय हमराही जाब्ता श्री राकेश कुमार कानि 70, श्री मुकेश कुमार कानि 101, श्री नितिन कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन से श्री रामनारायण हैड कानि की तलाश कर मेरे समक्ष पुलिस थाना सैंथल पर उपस्थित आये। श्री बनवारी लाल हैड कानि ने बताया की मै हमराहीयान जाब्ता आपके निर्देशानुसार श्री रामनारायण हैड कानि की तलाश कस्ब टहला मे करके वापस आया हु। बावजूद भरसक तलाश के श्री रामनारायण हैड कानि की अदम पतारसी रही। तत्पष्चात् समय 08.00 पी.एम. परिवादी श्री नरसी राम मीणा पुत्र श्री राधेष्याम मीणा उम्र 30 साल, जाति मीणा निवासी गोला का बास, तह राजगढ, थाना टहला जिला अलवर व दोनो स्वतंत्र गवाहान डॉ शिवकुमार व श्री नवीन जोनवाल के सामने मन् पुलिस उपाधीक्षक ने रिश्वत लेन देन के समय परिवादी श्री नरसी राम मीणा व संदिग्ध आरोपी रामप्रकाश कानि पुलिस चौकी गोला का बास, पुलिस थाना टहला, जिला अलवर के मध्य हुई रूबरू वार्ता जिसको परिवादी द्वारा सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे सैनडिस्क 32 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस के सामने आरोपी श्री रामप्रकाश के मो न   व श्री रामनारायण हैड के मोबाईल न   पर हुई वार्ता जिसको मोबाइल का लाउड स्पीकर ऑन करवाकर सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे सैनडिस्क 32 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को लेपटॉप की सहायता से चालूकर सुना गया एंव उसमें रिकॉर्ड वार्ता की मेरे निर्देशन में शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री लोकेश कानि 155 द्वारा तैयार की गई। उक्त वार्ता में परिवादी श्री नरसी राम मीणा द्वारा अपनी आवाज एवं संदिग्ध आरोपी श्री रामप्रकाश कानि, पुलिस चौकी गोला का बास, पुलिस थाना टहला जिला अलवर व श्री रामनारायण हैड कानि. पुलिस थाना टहला जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया

तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की कॉपी के पेनड्राईव बनाने हेतु चार खाली EVM 16 GB पेनड्राईव लिये जाकर चारो पैन ड्राईवों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे सैनडिस्क 32 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओ की लेपटॉप की सहायता से बारी-बारी से चारो EVM 16 GB पेनड्राईव में सेंड टू ऑपश्न से कॉपी तैयार की जाकर चारो पेनड्राईव को बारी-बारी से पुनः कार्यालय लेपटॉप में जोडकर चलाकर सुना गया तो मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता की कॉपी हुब हू होना पायी गयी। इसके बाद चारो पैन ड्राईव को पृथक-पृथक उनके कवर में रखकर कवर के पीछे चिट चस्पा कर मार्क-B-1, B-2, B-3, B-4 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क ं B-1, B-2, B-3, को उनके कवर सहित तीनो पेनड्राईव को अलग-अलग एक सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क B-1, B-2, B-3, अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा चौथे पेनड्राईव मार्क B-4 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। तत्पश्चात उक्त वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी को सुरक्षित हालात में यथावत वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसके कवर में रखकर कवर के पीछे एक चिट चस्पाकर उस पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उसको एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालत मे रखकर थैली को सील मोहर कर उस पर मार्क M-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त शिल्डशुदा पैनड्राइव एवं मैमोरी कार्ड की हैश वैल्यू निकाल कर शामिल फर्द की गई। उनमें किसी प्रकार की छेडछाड व कांट छांट नही की गई है। जिसका विस्तृत वर्णन फर्द में अंकित है। इसके बाद समय 10ः00 पी.एम. पर आरोपी श्री रामप्रकाश पुत्र श्री हनुमान सहाय जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी ग्राम काबलीगढ पोस्ट सुरतगढ तहसील व थाना थानागाजी जिला अलवर हाल कानि 1008 पुलिस चौकी गोला का बास थाना टहला जिला अलवर को अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा भ्रष्ट आचरण रखते हुये अपने स्वयं एवं श्री रामनारायण हैड कानि. 1412 थाना टहला के लिये परिवादी श्री नरसी राम मीणा के परिजनों के विरूद्व थाना टहला पर दर्ज प्रकरण संख्या 40/2026 में मदद करने व दोनों पक्षों के मध्य हुये राजीनामा को फाईल पर लेने की एवज में 20,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 15000/- रूपये लेने पर सहमत होकर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 5,000/- रूपये परिवादी से प्राप्त करना तथा शेष रिश्वती राशि 10000/- रूपये आईन्दा प्राप्त करने पर सहमत होकर अपनी इसी मांग के अनुशरण में आज दिनांक 11.03.2026 को परिवादी श्री नरसी राम से 10,000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं उक्त रिश्वत राशि श्री रामप्रकाश कानि की पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जेब से बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को समस्त बीएनएसएस 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर आरोपी की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह नवीन जोनवाल से लिवाई गई तो जामा तलाशी में मिले 3200/-रूपये नगद मिले जिस बाबत आरोपी को पूछा तो जेब खर्च का होना बताया एवं जिसके अलावा जामा तलाशी में एक मोबाइल वीवो कम्पनी का जिसमें एक सिम जीओ कम्पनी की नं लगी हुई मिली और उसके अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं दस्तावेज नहीं मिले व न ही कब्जा पुलिस लिये गये। आरोपी की जामा तलाशी में मिला मोबाईल मय सिम एवं 3200 रूपये को आरोपी के कहे अनुसार उसके पिताजी श्री हनुमान सहाय को सुपुर्द किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना इन्ही को दी गई। तत्पश्चात समय 10.20 पी.एम.पर परिवादी श्री नरसी राम मीणा पुत्र श्री राधेश्याम मीणा उम्र 30 साल, जाति मीणा निवासी गोला का बास, तह राजगढ, थाना टहला जिला अलवर व दोनो स्वतंत्र गवाहान डॉ शिवकुमार व श्री नवीन जोनवाल के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी की हाथ धुलाई एवं आरोपी श्री रामप्रकाश कानि की वर्दी की खाकी रंग की पेंट की आगे की बांयी जिससे रिश्वत राशि 10,000/- रूपये बरामद हुये है की जेब को उल्टावाकर करवाई गई धौवन की कार्यवाही का श्री लोकेश कुमार 155 से सरकारी मोबाईल मे नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क अल्ट्रा 16 जीबी डालकर बनाई गई विडियोग्राफी की डीवीडी बनाने हेतु ट्रेप बाक्स से 3 खाली डीवीडी ली जाकर खाली होना सुनिश्चित कर सरकारी मोबाइल को लैपटाप से जोडकर रिकॉर्डशुदा विडियो की बारी-बारी से 3 डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर सभी डीवीडी पर मार्क-V-1, V-2, V-3 अंकिंत कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री नरसी राम मीणा के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्कं V-1 न्यायालय हेतु एवं मार्क V-2 मालखाना हेतु प्लास्टिक के कवर में अलग-अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित दोनो डीवीडी को अलग-अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क V-1, V-2 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा तीसरी डीवीडी मार्क V-3को अनुसंधान हेतु खुला रखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया एवं मोबाईल में लगाया जाकर बनाई गई विडियोग्राफी के उक्त मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड सैनडिस्क अल्ट्रा 16 जीबी को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल से निकाल कर मैमोरी कार्ड सैनडिस्क अल्ट्रा 16 जीबी के कवर में रखकर कवर के पीछे एक चिट चस्पाकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मैमोरी कार्ड सैनडिस्क अल्ट्रा 16 जीबी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क V अंकित कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त प्रक्रिया से मोबाइल मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा विडियोग्राफी की श्री लोकेश कुमार कानि 155 से जो डीवीडी बनवाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एंव कांट छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द मूर्तिब की गई। इसके बाद दिनांक 12.03.2026 समय 1.00 टेप कार्यवाही के दौरान जब्तशुदा रिश्वती राशि नोटो को धोवन के सैम्पलों, एसडी कार्ड/डीवीडी/पैन ड्राईव व

समस्त आर्टिकल्स को सील्ड मोहर करने हेतु उपयोग में ली गई कार्यालय की नमूना ब्रांस सील नम्बर 56 को श्री राकेश कुमार कानि. 70 से नष्ट करवाया जाकर फर्द नष्टीकरण पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 02ः00 एएम. पर परिवादी श्री नरसी राम मीणा को हिदायत मुनासिब कर थाना सैंथल से अपने मस्कन हेतु रवाना किया गया। आरोपीगण श्री रामप्रकाश पुत्र श्री हनुमान सहाय जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी ग्राम काबलीगढ पोस्ट सुरतगढ तहसील व थाना थानागाजी जिला अलवर हाल कानि 1008 पुलिस चौकी गोला का बास थाना टहला जिला अलवर व श्री रामनारायण पुत्र भँवर सिंह निवासी ग्राम/पोस्ट बेढम तहसील व थाना डीग जिला डीग हाल हैड कानि 1412 पुलिस चौकी गोला का बास, पुलिस थाना टहला जिला अलवर का सेवा विवरण कार्यालय, पुलिस अधीक्षक जिला अलवर के पत्रांक 814 दिनांक 11.03.2026 से जरिये व्हाट्सअप प्राप्त हुआ। जिसका प्रिन्ट निकालकर शामिल पत्रावली किया गया। सेवा विवरण से आरोपी श्री रामनारायण हैड कानि 1412 का पदस्थापन भी पुलिस चौकी गोला का बास, पुलिस थाना टहला जिला अलवर पर होना पाया गया।इसके बाद समय 02ः40 एएम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस रविन्द्र सिंह मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रामप्रकाश कानि मय स्वतन्त्र गवाह डॉ शिवकुमार व श्री नवीन जोनवाल मय हमराहीयान स्टाफ सदस्य श्री दौलतराम हैड कानि न 101, श्री बनवारी लाल हैड कानि 116, श्री मुकेश कुमार कानि न 101, श्री राकेश कुमार कानि 70, श्री प्रेम प्रकाश कानि 382, श्री लोकेश कुमार कानि 155, श्री नितिन कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से बाद ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अनुसंधान बॉक्स मय जब्तशुदा आर्टिकल्स सहित थाना सैंथल से एसीबी कार्यालय दौसा के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 03ः20 एएम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस रविन्द्र सिंह मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रामप्रकाश कानि मय स्वतन्त्र गवाह डॉ शिवकुमार व श्री नवीन जोनवाल मय हमराहीयान स्टाफ सदस्य श्री दौलतराम हैड कानि न 101, श्री बनवारी लाल हैड कानि 116, श्री मुकेश कुमार कानि न 101, श्री राकेश कुमार कानि 70, श्री प्रेम प्रकाश कानि 382, श्री लोकेश कुमार कानि 155, श्री नितिन कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से बाद ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अनुसंधान बॉक्स मय जब्तशुदा आर्टिकल्स सहित थाना सैंथल से रवाना होकर एसीबी कार्यालय दौसा पहंुचा। दोनों स्वतंत्र गवाहान को हिदायत मुनासिब कर कार्यालय से रूख्सत किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्तशुदा आर्टिकल्स को मालखाना प्रभारी श्रीमती मंजु हैडकानि. 53 से सुरक्षित हालत में जमा मालखाना करवाया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री रामप्रकाश पुत्र श्री हनुमान सहाय जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी ग्राम काबलीगढ पोस्ट सुरतगढ तहसील व थाना थानागाजी जिला अलवर हाल कानि 1008 पुलिस चौकी गोला का बास थाना टहला जिला अलवर को अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा भ्रष्ट आचरण रखते हुये अपने स्वयं एवं श्री रामनारायण हैड कानि. 1412 पुलिस चौकी गोला का बास, थाना टहला के लिये परिवादी श्री नरसी राम मीणा के परिजनों के विरूद् थाना टहला पर दर्ज प्रकरण संख्या 40/2026 में मदद करने व दोनों पक्षों के मध्य हुये राजीनामा को फाईल पर लेने की एवज में 20,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 15000/- रूपये लेने पर सहमत होकर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 5,000/- रूपये परिवादी से प्राप्त करना तथा शेष रिश्वती राशि 10000/- रूपये आईन्दा प्राप्त करने पर सहमत होकर अपनी इसी मांग के अनुशरण में आज दिनांक 11.03.2026 को वक्त रिश्वत लेन देन परिवादी श्री नरसी राम से 10,000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं उक्त रिश्वत राशि श्री रामप्रकाश कानि. की पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जेब से बरामद होने से एवं वक्त रिश्वत लेन देन आरोपीगण श्री रामप्रकाश कानि. व श्री रामनारायण हैड कानि. 1412 के मध्य फोन पर हुई वार्ता से आरोपी श्री रामप्रकाश पुत्र श्री हनुमान सहाय जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी ग्राम काबलीगढ पोस्ट सुरतगढ तहसील व थाना थानागाजी जिला अलवर हाल कानि. 1008 पुलिस चौकी गोला का बास थाना टहला जिला अलवर व श्री रामनारायण पुत्र भँवर सिंह निवासी ग्राम/पोस्ट बेढम तहसील व थाना डीग जिला डीग हाल हैड कानि. 1412 पुलिस चौकी गोला का बास, पुलिस थाना टहला जिला अलवर के खिलाफ जुर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध साबित है। आरोपी श्री रामप्रकाश कानि. 1008 को दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी श्री रामनारायण हैड कानि. 1412 चौकी गोला का बास, पुलिस थाना टहला जिला अलवर को उक्त ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने के कारण फरार होने के कारण गिरफ्तार नही किया जा सका। आरोपीगण श्री रामप्रकाश पुत्र श्री हनुमान सहाय जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी ग्राम काबलीगढ पोस्ट सुरतगढ तहसील व थाना थानागाजी जिला अलवर हाल कानि. 1008 पुलिस चौकी गोला का बास थाना टहला जिला अलवर व श्री रामनारायण पुत्र भँवर सिंह निवासी ग्राम/पोस्ट बेढम तहसील व थाना डीग जिला डीग हाल हैड कानि. 1412 पुलिस चौकी गोला का बास, पुलिस थाना टहला जिला अलवर के विरूद् अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है। (रविन्द्र सिंह) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,दौसा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1-श्री रामप्रकाश पुत्र श्री हनुमान सहाय जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी ग्राम काबलीगढ पोस्ट सुरतगढ तहसील व थाना थानागाजी जिला अलवर हाल कानि0 1008

पुलिस चैकी गोला का बास थाना टहला जिला अलवर एवं 2. श्री रामनारायण पुत्र भँवर सिंह निवासी ग्राम/पोस्ट बेढम तहसील व थाना डीग जिला डीग हाल हैड कानि0 1412 पुलिस चैकी गोला का बास, पुलिस थाना टहला जिला अलवर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री शब्बीर अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 605 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 474-77 दिनांक 12.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SABBIR KHAN **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/03/2026 18:06:55

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1996				
2	Male	1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)